उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-153/2019/1933/92-2-19-57जांच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 30 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-फैजाबाद में कार्यरत रहने के दौरान शासन/ विभागाध्यक्ष व अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/आदेशों की अवहेलना किये जाने एवं उच्चाधिकारियों को गलत सूचना प्रेषित किये जाने आदि अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-136/2018/2633/92-2-18-57जांच/2016 दिनांक 15.10.2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में श्री हसनैन अहमद के पत्र दि0 12-11-2018 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-173/2018/2854/92-2-18-57जांच/2016 दिनांक 03-12-2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ के स्थान पर श्री एस0एन0 पाण्डेय, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता के पत्र सं0-29/ग्रा0अ0वि0/जांच-अधि0अभि0/19-20 दि0 12-04-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/श्री एस0एन0 पाण्डेय की जांच आख्या दिनांक 12-04-2019 में अपचारी अधिकारी, श्री हसनैन अहमद पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से आरोप सं0-1 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम -9(4) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत शासन के पत्रसं0-861/92-2-19-57जांच/2016 दिनांक 29-04-2019 द्वारा उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 21-08-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी, श्री हसनैन अहमद पर आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-1, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दि0 09-09-2015 में हुई बैठक के निर्देशों के क्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दि0 22-09-2015 एवं उसी तारतम्य मे मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ कार्यालय पत्रांक-5153/ग्रा0अ0वि0/स्था0-2/एस0 ए0-2/पटल परि0/15-16 दि0 10-11-15 द्वारा निर्देशित किया गया था कि गैर अभियांत्रिक स्टाफ जो एक ही पटल पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत है, उसे तत्काल उस पटल से हटाकर चार्ज उसके प्रतिस्थानी को हैण्डओवर करा दिया जाय। इसी प्रकार निदेशालय द्वारा अपने पत्रांक-1596/ ग्रा0अ0 वि0/प0परि0/15-16, दि0 18-11-2015, पत्रांक-909/ग्रा0अ0वि0/स्था0-2/प0 परि0/15-16 दि0 27-07-2015 एवं पत्रांक-750/ग्रा0अ0वि0/स्था0-2/स्टाफ मीटिंग/15-16 दिनांक 07-07-2015 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-फैजाबाद कार्यालय के पत्रांक-1072/ ग्रा0 अ0वि0/स्था0-2/15-16 दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

24-06-2015 एवं पत्रांक-1377/ग्रा0अ0वि0/स्था0-2/पटल परि0/15-16 दि0 10-07-2015 द्वारा अनुस्मारित किये जाने के बावजूद भी आप द्वारा न तो निर्धारित प्रारूप पर सूचना ही दी गयी और न ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। आप द्वारा जान बूझकर शासन व विभागाध्यक्ष तथा अन्य उच्च अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना की गयी है, जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

पटल पर सूचना नया सत्र प्रारम्भ होने अर्थात अप्रैल माह में दी जाती है जबकि उन्होने दि0 22-07-2015 को प्रखण्ड-फैजाबाद का कार्यभार ग्रहण किया था, तो उक्त सूचना उनके पूर्व अधिकारी द्वारा भेजी जानी थी। उक्त स्थिति से अवगत कराते हुये श्री हसनैन अहमद द्वारा उन्हें आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना

अपचारी अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पटल की सूचना नये सत्र प्रारम्भ होने पर अर्थात अप्रैल में दी जाती है किन्तु उसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। उनके द्वारा दि0 22-07-2015 को अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-फैजाबाद का कार्यभार ग्रहण किया गया था फिर भी निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दि0 22-09-2015 एवं 18-11-2015 के क्रम में स्टाफ के पटल परिवर्तन की स्थिति का परीक्षण कर प्रमाण पत्र भेजे जाने का दायित्व अपचारी अधिकारी का था, किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा निदेशालय के उक्त संदर्भित पत्रों को संज्ञान में नही लिया गया। अत: उक्त आरोप अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप सं0-1 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने के खण्डन के संबंध में निम्नवत तथ्यों से अवगत कराया गया है :-

1- श्री हसनैन अहमद द्वारा प्रखण्ड-फैजाबाद (अयोध्या) में दि0 22-07-2015 को कार्यभार ग्रहण किया था पटल परिवर्तन का कार्य माह अप्रैल में ही किया जाता है अर्थात नये सत्र के प्रारम्भ में।

2-अधीक्षण अभियंता, परि0-फैजाबाद के पत्र दि0 24-06-2015 व पत्र दि0 10-07-2015 के उनके योगदान से पूर्व आये थे, श्री हसनैन अहमद के समक्ष प्रस्तुत नही किये गये।

3-तत्का0 कैशियर, श्री हसीन अहमद व श्री राधेश्याम विगत 15 साल से कैशियर का कार्य सामान्य व पीएमजीएसवाई में क्रमश: लगातार देख रहे थे उनका कोई विकल्प नही था। यह दोनो कैशियर वर्तमान में भी कैशियर का पटल देख रहे है।

4-केवल हसीन अहमद के पटल को लेकर अधीक्षण अभियंता को आपत्ति थी, जिसे हटाकर वे अम्बुज यादव के कार्यभार देने के आदेश कर दिये थे किन्तु अधीक्षण अभियंता, श्री राधेश्याम को चार्ज दिलाना चाहते थे केवल ये ही विवाद था। इस प्रकार श्री हसनैन अहमद ने उच्च अधिकारियों के आदेश का अक्षरश: पालन किया है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रमुख् सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, शासन की अध्यक्षता में दि0 09-09-2015 को सम्पन्न हुई बैठक के निर्देशानुसार निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ के पत्र दि0 22-09-2015 एवं उसी तारतम्य में मुख्य अभियंता, (पू0क्षे0) ग्रामीण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दि0 10-11-2015 एवं अधीक्षण अभियंता,परि0-फैजाबाद के पत्र दि0 24-06-2015 व 10-07-2015 द्वारा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद को निर्देशित किया गया था कि उनके कार्यालय में गैर अभियांत्रिकी स्टाफ जो एक ही पटल पर 03 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत है, उन्हें तत्काल उस पटल से हटाकर चार्ज उसके प्रतिस्थानी को हैण्ड ओवर करा दिया जाय। उच्च स्तर से बार-बार निर्देशित किये जाने के उपरांत भी श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा न तो निर्धारित प्रारूप पर सूचना दी गयी और ना ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-10-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"जनपद फैजाबाद कार्यकाल के दौरान उच्च स्तर से बार-बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी निर्धारित प्रारूप पर सूचना एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की अनियमितता हेतु श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद को **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-153/2019/1933/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-हाथरस द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।